नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 131
दि. 13.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

साइबर ठगी का बढ़ता मायाजाल: पांच वर्षों में ₹55,000 करोड़ से अधिक की ठगी, शिकायतों में रिकॉर्ड उछाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर अपराधों में भी चिंताजनक तेजी देखने को मिल रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में प्रस्तुत अपने लिखित उत्तर में खुलासा किया है कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच साइबर ठगों ने नागरिकों के खातों से 55,000 करोड़ से अधिक की रकम हड़प ली। इन पांच वर्षों के दौरान कुल 65,890,063 (6 करोड़ 58 लाख 90 हजार 63) शिकायतें साइबर ठगी से संबंधित दर्ज की गईं, जो डिजिटल सुरक्षा के मोर्चे पर गंभीर चुनौती की ओर संकेत करती हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, साइबर अपराधों की शिकायतों में हर वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में 2,62,846 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें 551 करोड़ की ठगी सामने आई। वर्ष 2022 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 6,94,446 हो गई और ठगी की राशि 2,290 करोड़ तक पहुंच गई। वर्ष 2023 में यह आंकड़ा दोगुने से अधिक होकर 13,10,357 शिकायतों तक पहुंचा, जबकि धोखाधड़ी की रकम 7,465 करोड़ रही।

स्थिति वर्ष 2024 में और अधिक गंभीर हो गई, जब 19,18,835 शिकायतें दर्ज की गईं और 22,848 करोड़ की साइबर ठगी रिपोर्ट हुई। वर्ष 2025 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया—24,02,579 शिकायतें और 22,495 करोड़ की ठगी। यद्यपि 2024 की तुलना में 2025 में ठगी की राशि में मामूली कमी दर्ज की गई, लेकिन शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि यह दर्शाती है कि साइबर अपराधियों के तरीके अधिक संगठित और व्यापक होते जा रहे हैं।

गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार बहुस्तरीय रणनीति पर कार्य कर रही है। इस दिशा में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन

सेंटर (I4C) की स्थापना की गई है, जो देशभर में साइबर अपराध से निपटने के प्रयासों का समन्वय करता है। I4C के अंतर्गत ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) शुरू किया गया, जहां नागरिक ऑनलाइन साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को प्राथमिकता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्टिंग और ठगों द्वारा धन के त्वरित हस्तांतरण को रोकना है। मंत्रालय के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम से दर्ज 23 लाख 62 हजार मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 8,189 करोड़ की राशि को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाया गया। नागरिकों की सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर '1930' भी संचालित किया जा रहा है, जिस पर कॉल कर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।

डिजिटल जांच को मजबूत बनाने के लिए I4C के तहत वर्ष 2009 में नई दिल्ली में नेशनल डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसे पहले नेशनल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2025 से असम में भी इसी प्रकार की एक प्रयोगशाला कार्यरत है। इन केंद्रों का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जांच अधिकारियों को साइबर अपराध मामलों में तकनीकी और फॉरेंसिक सहायता प्रदान करना है। नई दिल्ली स्थित केंद्र ने 31 दिसंबर 2025 तक 13,299 साइबर अपराध मामलों में राज्यों को सहायता प्रदान की है। साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों की फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं के उन्नयन में भी सहयोग कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधियों के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं—जैसे फिशिंग, फर्जी निवेश योजनाएं, केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी, लोन ऐप स्कैम और फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी। आम नागरिकों की डिजिटल जागरूकता की कमी का लाभ उठाकर अपराधी बड़ी रकम हड़प रहे हैं।

सरकार के प्रयासों के बावजूद साइबर अपराधों में हो रही लगातार वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि तकनीकी ढांचे को और मजबूत करने, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या निवेश प्रस्ताव से सतर्क रहें, अनजान व्यक्तियों के साथ ओटीपी या बैंकिंग विवरण साझा न करें और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

पांच वर्षों के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि साइबर ठगी अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन चुकी है। डिजिटल भारत की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ साइबर सुरक्षा को समानांतर रूप से सुदृढ़ करना समय की मांग बन गया है।

'वंदे मातरम' के छह छंद गाने के निर्देश पर विवाद, मुस्लिम संगठनों ने बताया असंवैधानिक; कोर्ट जाने की चेतावनी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी छह छंद आधिकारिक समारोहों में गाए जाने संबंधी केंद्र सरकार के हालिया निर्देश पर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद सहित कई मुस्लिम संगठनों ने इस आदेश को असंवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। विवाद की पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी वह प्रोटोकॉल है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय समारोहों—जैसे राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के संबोधन—के अवसर पर यदि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ बजाए जाएं, तो 'वंदे मातरम' के सभी छह छंद पहले गाए जाएंगे। मंत्रालय ने इन छह

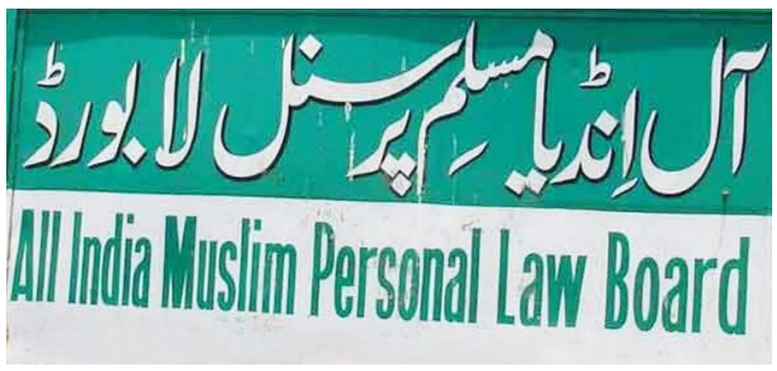

छंदों की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की है।

एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि यह निर्णय मुसलमानों के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। उनका तर्क है कि संविधान सभा की बहसों और रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद यह परंपरा बनी थी कि 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो छंदों का ही आधिकारिक उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सरकार किसी एक धार्मिक भावभूमि से जुड़े अंशों को अन्य समुदायों पर अनिवार्य रूप से नहीं थोप सकती।

बोर्ड का कहना है कि गीत के कुछ छंदों में मातृभूमि को देवी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है और दुर्गा सहित अन्य देवी-देवताओं का उल्लेख आता है, जो इस्लामी आस्था के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की मान्यता है और किसी अन्य रूप में वंदना स्वीकार्य नहीं मानी जाती। बोर्ड ने दावा किया कि न्यायालयों ने भी अतीत में इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल प्रारंभिक छंदों के प्रयोग को मान्यता दी है। इसी क्रम में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी सरकार के आदेश का विरोध करते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात बताया है। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया मंच X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमान किसी को 'वंदे मातरम' गाने या बजाने से नहीं रोकते, किंतु वे उन छंदों का समर्थन नहीं कर सकते जिनमें मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने आदेश को एकतरफा और मनमाना करार दिया। दूसरी ओर, सरकार की ओर से यह कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के संबंध में एक स्पष्ट और एकरूप प्रोटोकॉल तय करना आवश्यक था, ताकि राष्ट्रीय आयोजनों में एकरूपता बनी रहे। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है। यदि आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां इस विषय पर संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रश्नों की विस्तृत कानूनी समीक्षा संभव है। यह विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय प्रतीकों, धार्मिक आस्था और संविधान में निहित अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ता नजर आ रहा है।

कर्नाटक भाजपा विधायक बिरथी बसवराज गिरफ्तार, हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

(जीएनएस)। बंगलूरू। कर्नाटक की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल मच गई जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बिरथी बसवराज को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें अहमदाबाद से बंगलूरू लौटते ही हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी कानूनी राहत की उम्मीदों को झटका लगा।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, केआर पुरम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिरथी बसवराज को शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिवा (40) की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। यह सनसनीखेज वारदात 15 जुलाई 2025 को भारती नगर क्षेत्र में हुई थी, जहां शिवप्रकाश पर लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के समय उसकी मां विजयलक्ष्मी भी मौके पर मौजूद थीं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि आठ से नौ हमलावरों ने उनके बेटे को घेरकर बेरहमी से पीटा और उस पर धारदार हथियारों से वार किए। जब मृतक का एक मित्र बीच-बचाव के लिए आगे आया, तो उसे भी लोहे की रॉड से मारा गया।

जांच के दौरान सामने आया कि यह हत्या फरवरी 2025 से चले आ रहे एक जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। किथागनूर क्षेत्र की एक भूमि को लेकर कई पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें कथित रूप से स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर बिरथी बसवराज को इस मामले में पांचवें आरोपी के रूप में नामित किया गया। वे पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

बसवराज ने अग्रिम जमानत के लिए पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारी की गई।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और फिर आगे की पूछताछ के लिए संबंधित थाने में रखा गया। संभावना है कि पुलिस उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी, ताकि साजिश और अन्य आरोपियों से उनके कथित संबंधों की गहराई से जांच की जा सके।

इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच में आरोप साबित होते हैं, तो इसका प्रभाव न केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र बल्कि राज्य की व्यापक राजनीतिक परिस्थिति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में अदालत में होने वाली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में फैसला सुरक्षित, 27 फरवरी को तय होगा केजरीवाल और सिसोदिया पर आरोप लगेंगे या नहीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने बहुचर्चित दिल्ली आबकारी नीति (शराब घोटाला) मामले में आरोप तय करने के प्रश्न पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और सभी आरोपियों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कहा कि अदालत 27 फरवरी को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अदालत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने का आदेश देती है या नहीं। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है। एजेंसी ने वर्ष 2022 में पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद समय-समय पर पूरक आरोप पत्र भी दायर किए गए। सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को कथित रूप से कुछ शराब कारोबारियों के हित में तैयार और संशोधित किया गया तथा इसके बदले तथाकथित "साउथ लॉबी" की ओर से करीब 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। सीबीआई ने अदालत में 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता सहित कई कारोबारी और कथित बिचौलिये शामिल हैं। अन्य आरोपियों में कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू

गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह रायत, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ चंद्र रेड्डी के नाम शामिल हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डी.पी. सिंह और विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि यह एक व्यापक आपराधिक साजिश का मामला है, जिसे समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। एजेंसी का कहना है कि आरोप तय करने के स्तर पर विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं। सीबीआई के अनुसार, उपलब्ध दस्तावेजों, बयानों और डिजिटल साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस या प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और उन्हें किसी अवैध लेनदेन से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि केजरीवाल का नाम प्रारंभिक चार्जशीट और तीन पूरक आरोप पत्रों में नहीं था, बल्कि चौथी पूरक चार्जशीट में जोड़ा गया, जो पहले से उपलब्ध सामग्री की "कट-पेस्ट" पुनरावृत्ति मात्र है।

बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि केजरीवाल ने कथित साउथ लॉबी से धन लेने के लिए किसी को निर्देश दिया या अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मगुंटा के बयान के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा। बताया गया कि राघव मगुंटा, जो पहले आरोपी थे, बाद में सरकारी गवाह बन गए। आरोप है कि किसी ने मगुंटा को केजरीवाल की ओर से धन देने के लिए कहा था, किंतु बचाव पक्ष का कहना है कि इस दावे को पुष्ट करने वाला कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब यह मामला आरोप तय करने के महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुका है। यदि अदालत 27 फरवरी को आरोप तय करने का आदेश देती है, तो इसके बाद नियमित ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें गवाहों के बयान और साक्ष्यों का परीक्षण होगा। वहीं यदि अदालत यह पाती है कि पर्याप्त आधार नहीं है, तो कुछ आरोपियों को राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 27 फरवरी का फैसला इस बहुचर्चित मामले की आगे की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

सोशल मीडिया नियमन की जटिलताएं

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी जरूरी है।

निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता का विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति से असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना तकनीकी प्रगति की छलांग लगाती गति के दुष्परिणामों को ही उजागर करता है। निर्विवाद रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित स्पर्धा के दौर में नैतिक दुविधा स्पष्ट है। साथ ही इसका कोई कारगर समाधान शीघ्र नजर भी नहीं आता। इस संकट से विकासशील देश ही नहीं, विकसित देश भी गहरे तक जूझ रहे हैं। आस्ट्रेलिया व फ्रांस आदि देशों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिये एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया कारोबार में दोनों हाथों से मुनाफा बटोरने वाली कंपनियों के देश अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर लोगों को लत लगाने वाली मशीनें बनाने के आरोप लग रहे हैं। इस बाबत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विशेषज्ञ की टिप्पणी है- हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक युवा न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि शारीरिक पीड़ा का भी अनुभव करते हैं, जब उनसे फोन आदि उपकरण ले लिए जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति भारत समेत तमाम विकासशील देशों में भी बनी हुई है। इस संकट का कोई स्थायी समाधान विश्व भर के लिये प्रासंगिक हो सकता है। निस्संदेह, इस बेहद घातक तकनीक आक्रमण से निबटना लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। निर्विवाद रूप से असली-नकली के भ्रम से जूझते उपयोगकर्ताओं की संवेदनाओं से खिलवाड़ का सिलसिला नियंत्रित होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीपफेक से धोखाधड़ी-गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरों को नियंत्रित करने के लिये सख्त नियम के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संचालकों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी है।

संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हनन के प्रश्न

> हर नागरिक का अधिकार है कि वह उचित मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात कह सकता है। संसद में, और विधानसभाओं में तो सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि सदन में उनकी कही बात को किसी भी तरह से अपराध नहीं माना जायेगा।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा तो पहले भी होता रहा है, पर इस बार जो कुछ हुआ, वह अभूतपूर्व ही था। पहली बात तो यह हुई कि सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष को उनकी बात नहीं कहने दी और दूसरी यह कि किसी 'अनहोनी' की आशंका से लोकसभा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को यह आग्रह किया कि वह कार्यक्रम के अनुसार सदन में बहस का उत्तर देने न आयें। यह दोनों ही बातें हैरान करने वाली हैं, पर यह भी अपने आप में कम हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष की सलाह मानते हुए सदन में न आने का निर्णय कर लिया। यह घटना जहां एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के रूप में याद रखी जायेगी, वहीं इस बात पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है कि हमारी संसद में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में क्यों और कैसे पड़ गयी।

प्रधानमंत्री को सदन में न आने देने की सलाह के बारे में बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जो कहा, वह निश्चित रूप से चिंता की बात है। उन्होंने 'पुख्ता जानकारी' का हवाला देते हुए कहा था कि उस दिन सदन में प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। इस 'कुछ भी' का ब्योरा उन्होंने यह शब्द लिखे जाने तक नहीं दिया है, पर यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि उनका इशारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ओर था। यदि ऐसा कुछ है तो देश को यह जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री को किससे और कैसा खतरा था। यही नहीं, यह बताना भी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। यह सब यदि देश को नहीं बताया जा रहा है तो तरह-तरह की अफवाहें फैल सकती हैं, जो किसी भी दृष्टि से देश के हित में नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही देश की जनता को इस बारे में विश्वास में लिया जायेगा।

संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर इस तरह खतरे का होना जहां हमारी समूची सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखा रहा है, वहीं सवाल संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वालों के मंतव्य पर भी उठता है। सवाल जनतांत्रिक मूल्यों में हमारी आस्था और विश्वास का है। अक्सर इस तरह की स्थिति विपक्ष के विरोध से उत्पन्न होती है, पर सदस्यों के अभिव्यक्ति के अधिकार को चुनौती इस बार सत्तारूढ़ पक्ष ने भी दी है। जिस तरह नेता विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने से रोकने की कोशिश हुई, उन्हें एक पुस्तक का उद्धरण देने से रोका गया, वह नियमों को आधार बनाकर एक सच्चाई को उजागर होने से रोकने की कोशिश ही कही जायेगी। देश के पूर्व सेनाध्यक्ष की जिस कथित रूप से अप्रकाशित पुस्तक को लेकर सारा विवाद हुआ, वह एक उपहास बनकर रह गया है। पहले भी उस पुस्तक के कुछ अंश पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और अब तो वह सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने आ गया है, जिसे सत्तारूढ़ पक्ष उजागर नहीं करना चाहता था!

अब सारी दुनिया जान गयी है कि भारत सरकार ने जनरल नरवणे की जिस पुस्तक के अंश को छपने देने की अनुमति अब तक नहीं दी है उसका रिश्ता उस एक घटना से है जिसमें जनरल ने यह लिखा था कि शत्रु देश चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उन्हें सर्वोच्च अधिकारी से आवश्यक अनुमति बार-बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पायी थी। सवाल इस घटना की सच्चाई या झूठ का नहीं है, सवाल यह है कि यदि उस दिन लोकसभा में नेता विपक्ष को इस घटना का हवाला देने दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? सारी जानकारी एक खुला रहस्य था, यह बात सदन में दोनों पक्षों को पता थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाली बात अपनी जगह है। उसकी तो जांच होनी ही चाहिए और जो भी दोषी है उसे उचित सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में किसी को भी किसी तरह की छूट दिया जाना प्रधानमंत्री की ही नहीं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना होगा।

इस समूचे प्रकरण का एक हिस्सा जनतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का है। जो शासन-व्यवस्था हमने अपने लिए चुनी है, उसमें संवाद का सर्वाधिक महत्व है। हमारा संविधान हर नागरिक के अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। हर नागरिक का अधिकार है कि वह उचित मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात कह सकता है। संसद में, और विधानसभाओं में तो सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि सदन में उनकी कही बात को किसी भी तरह से अपराध नहीं माना जायेगा। यह व्यवस्था इसलिए भी ज़रूरी थी कि निर्वाचित सदस्य अपनी बात निर्भयतापूर्वक कह सकें। ऐसे में यदि नेता विपक्ष को कोई बात कहने से रोका जाता है तो इसे जनतांत्रिक मूल्यों-परंपराओं का नकार ही कहा जायेगा। निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वे अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात सदन में कहने का अवसर और अधिकार मिलना ही चाहिए।

वहीं, एक बात यह भी समझने की है कि मतदाता सिर्फ सरकार ही नहीं चुनता, विपक्ष का भी चुनाव करता है। यदि वह एक पक्ष को सरकार चलाने का काम सौंपता है तो दूसरे पक्ष से वह यह अपेक्षा करता है कि वह सत्तारूढ़ पक्ष के काम-काज पर समुचित निगाह रखेगा। सदस्यों को सदन में अपनी बात कहने का अवसर देने का मतलब यही है कि हर सदस्य को अपना दायित्व निभाने का अवसर मिले। महज इसलिए कि किसी की बात से हम असहमत हैं, उसे बात कहने का मौका नहीं देंगे, या उसके बोलने में रुकावट डालेंगे, यह हर दृष्टि से अनुचित और अजनतांत्रिक है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक वाल्तेयर ने इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका कहना था, 'मैं आपके विचार से असहमत हो सकता हूं, पर अपनी बात कहने के आपके अधिकार की रक्षा मैं अपने प्राण देकर भी करूंगा'। वाल्तेयर की यह सोच जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसका अर्थ है हम उस व्यवस्था के मूल्यों में विश्वास नहीं करते जो हमने अपने लिए चुनी है।

उस दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष को वह सब कहने दिया जाना चाहिए था जो वे जनरल नरवणे को उद्धृत करके कहना चाहते थे। यह उनका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी था। उसी तरह सदन के नेता प्रधानमंत्री का भी अधिकार और कर्तव्य है कि वह प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब देते। लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। होना चाहिए था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपनी बात कह सकते थे। पर पता नहीं क्यों उन्होंने उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, जो इस समूचे संदर्भ में उठ रहे हैं। यह सब मतदाता को हल्के में लेने का ही उदाहरण है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वह मतदाता के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। यह दुर्भाग्य ही है कि हमारी राजनीति से ईमानदारी कहीं गायब होती जा रही है।

प्रेरणा

मन की खाली हांडीः शांति की असली खोज

मन की खाली हांडीः शांति की असली खोज एक पुराने नगर की संकरी गलियों में एक दिन बड़ी हलचल थी। लोगों में चर्चा थी कि संत कबीर कुछ दिनों के लिए नगर में ठहरे हैं। वे न तो किसी बड़े आश्रम में रहते थे, न ही उनके पास अनुयायियों की भीड़ थी। साधारण खादी के वस्त्र, कंधे पर एक झोली, और आंखों में अद्भुत स्थिरता—बस यही उनका परिचय था। पर जो उनसे मिलकर लौटता, वह कुछ बदला हुआ-सा महसूस करता। उसी नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। ऊँची हवेली, असंख्य नौकर-चाकर, सोने-चांदी के बर्तन, और व्यापार में अपार सफलता—सब कुछ उसके पास था। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी, लोग सम्मान से झुककर उसे प्रणाम करते थे। परंतु भीतर ही भीतर वह अशांत था। रात को नींद नहीं आती थी। मन में अजीब-सी घबराहट रहती। कभी भविष्य का भय, कभी हानि की चिंता, कभी किसी के आगे निकल जाने का डर। बाहर वैभव था, भीतर सूखा मरुस्थल। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह कबीर से मिलेगा। वह भव्य वस्त्र पहनकर, सेवकों के साथ कबीर के पास पहुँचा। कबीर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ लोग उनके आसपास शांत भाव से बैठे थे। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, "महात्मा जी, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे पास धन है, यश है, परिवार है, पर मन को शांति नहीं मिलती। कृपा करके मार्ग बताइए।" कबीर ने उसे ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि सीधी हृदय को छूती थी। वे मुस्कराए और बोले, "तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम स्वयं अपने पास नहीं हो।" सेठ चकित रह गया। उसे लगा जैसे यह वाक्य उसके भीतर किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो।

सेठ ने कहा, "मैं समझा नहीं, महाराज। मैं तो यहीं हूँ, आपके सामने।" कबीर ने पास रखी मिट्टी की एक खाली हांडी उठाई। वह साधारण थी, किनारों पर थोड़ी-सी दरारें भी थीं। कबीर ने सेठ से कहा, "इसे अपने सोने के सिक्कों से भर दो।" सेठ ने इशारा किया। सेवक दौड़कर थैली ले आए। थोड़ी ही देर में हांडी सोने से भर गई।

कबीर ने पूछा, "अब बताओ, इसमें और कुछ डाला जा सकता है?" सेठ ने हांडी को देखा और बोला, "नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं समा सकता।" कबीर ने शांत स्वर में कहा, "यही तुम्हारी दशा है। तुम्हारा मन भी इसी हांडी की तरह है। तुमने उसे धन, प्रतिष्ठा, तुलना, प्रतिस्पर्धा और संग्रह से इतना भर दिया है कि उसमें शांति के लिए स्थान ही नहीं बचा।" सेठ कुछ असहज हुआ। उसने धीरे से कहा, "पर धन तो जीवन की आवश्यकता है। बिना धन के कैसे चले?" कबीर ने उत्तर दिया, "धन बुरा नहीं है। पर जब धन तुम्हारा साधन न रहकर तुम्हारा स्वामी बन जाए, तब अशांति जन्म लेती है। वस्तुएं बाहर रहें तो उपयोगी हैं, भीतर बैठ जाएं तो बोझ बन जाती हैं।" सेठ चुप हो गया। कबीर ने आगे कहा, "तुम दिन भर क्या सोचते हो?" सेठ ने ईमानदारी से कहा, "व्यापार, लाभ-हानि, दूसरों की प्रगति, अपने विस्तार की योजनाएँ और यह भी कि कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए।" कबीर ने मुस्कराकर पूछा, "और कभी यह सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है? तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए?" सेठ ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी स्वयं से यह प्रश्न नहीं पूछा। कबीर ने हांडी से एक-एक कर कुछ सोने के सिक्के निकालने शुरू किए। फिर बोले, "देखो, जब तक यह हांडी भरी थी, इसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता था। अब जैसे-जैसे इसे खाली करेंगे, इसमें जल भी रखा जा सकता है, अन्न भी, या फिर इसे दीपक की तरह जलाकर प्रकाश भी किया जा सकता है। खाली होना अभाव नहीं है, संभावना है।"

सेठ के चेहरे पर विचार की रेखाएँ उभर आईं। कबीर ने आगे कहा, "अशांति का कारण बाहर की परिस्थितियाँ नहीं, भीतर की भीड़ है। मन में इच्छाओं का मेला लगा है। हर इच्छा एक आवाज़ है, जो तुम्हें खींचती रहती है। तुम थक जाते हो, पर रुक नहीं पाते।"

सेठ ने पूछा, "तो क्या मुझे सब छोड़कर वन में चला जाना चाहिए?" कबीर हँसे, "वन में जाना सरल है, मन को खाली करना कठिन। यदि मन भरा है, तो वन में भी वही बाजार बस जाएगा। और यदि मन शांत है, तो बाजार में भी वन की शांति मिल सकती है।"

यह सुनकर आसपास बैठे लोग भी गंभीर हो गए। कबीर ने कहा, "तुम्हें त्याग बाहर का नहीं, भीतर का करना है। अहंकार का त्याग, तुलना का त्याग, अनावश्यक संग्रह का त्याग। जब तुम अपने को पद और धन से अलग पहचानोगे, तब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलेगी।"

सेठ की आँखें नम हो गईं। उसने कहा, "मैंने जीवन भर बाहर कमाया, भीतर कभी नहीं झाँका। क्या अब भी देर नहीं हुई?" कबीर ने प्रेम से कहा, "जब जागो तभी सवेरा। समय कभी बीतता नहीं, हम ही सोए रहते हैं।"

उस दिन सेठ ने एक छोटा-सा संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठेगा, बिना किसी योजना, बिना किसी गणना के। वह अपने विचारों को देखेगा, उन्हें पकड़ेगा नहीं। उसने अपने व्यापार को छोड़ा नहीं, पर उसमें आसक्ति कम करने का प्रयास किया। धीरे-धीरे उसने कुछ धन दान में देना शुरू किया, कुछ समय जरूरतमंदों की सेवा में लगाया।

कुछ महीनों बाद नगर के लोगों ने उसमें परिवर्तन देखा। उसका चेहरा पहले से अधिक शांत था। उसकी बातों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने समझ लिया था कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जाए; वह तो मन की अवस्था है, जो तब प्रकट होती है जब भीतर स्थान बनता है।

एक दिन वह फिर कबीर के पास गया और बोला, "अब समझ में आया कि मैं स्वयं से दूर हो गया था। मैंने अपने मन को इतना भर लिया था कि उसमें सत्य का प्रवेश ही नहीं हो पा रहा था।"

कबीर ने अंतिम बात कही, "मन को खाली करना कठिन लगता है, क्योंकि हम उसे अपनी पहचान समझ लेते हैं। पर जब तुम पहचानोगे कि तुम हांडी नहीं, उसके भीतर का आकाश हो, तब तुम्हें किसी भराव या खालीपन का भय नहीं रहेगा। शांति बाहर से नहीं आती; वह तो तुम्हारे अपने स्वभाव का प्रकाश है।"

नगर में यह कथा फैल गई। लोगों ने जाना कि शांति का रहस्य किसी विशेष स्थान, वस्तु या परिस्थिति में नहीं छिपा है। वह इस बात में है कि हम अपने मन की हांडी को कितना हल्का रखते हैं। जब उसमें अहंकार, लोभ और अनावश्यक इच्छाओं का बोझ कम होता है, तभी उसमें सत्य, करुणा और संतोष का वास होता है।

और सच यही है—जब मन खाली होता है, तभी वह पूर्ण होता है।

विभाजनकारी एजेंडे से बचाए जाएं विश्वविद्यालय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में उच्च शिक्षा आवंटन को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 55,727 करोड़ कर दिया है। इसके साथ ही प्रमुख औद्योगिक गलियारों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित कर शैक्षणिक क्षेत्रों को अनुसंधान और उद्योग के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। जहां चीन जैसे देश का उच्च शिक्षा बजट भारत से छह गुना अधिक है, वहां यह उतना पर्याप्त तो प्रतीत नहीं होता, किंतु यह सराहनीय है कि इस मोर्चे पर एक पहल तो हुई है। हालांकि आवंटन से परे चिंता की बात यह है कि सरकार विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक परिवेश को लेकर कितनी गंभीर है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के कुछ नियमों ने बीते दिनों समाज के कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ाने का काम किया। घोषित रूप से ये नियम शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए थे, परंतु सामान्य वर्ग को इन नियमों के दुरुपयोग का भय था, क्योंकि निगरानी टीमों में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्पष्ट बात नहीं थी और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रविधान भी नहीं था। इनके दुरुपयोग की आशंका अकारण नहीं थी। एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग के कई मामले सामने आते रहे हैं।

जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न भारतीय समाज का दुखद पहलू रहा है और आज भी कई क्षेत्रों में इससे मुक्ति नहीं मिली है, परंतु शैक्षणिक संस्थानों में शायद यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है। वहां तो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए युवाओं के बीच आजीवन चलने वाली मित्रता बनती हैं। आंकड़े देखे जाएं तो 2023-24 में 3,000 शिक्षा संस्थानों से 378 ऐसी शिकायत मिली थीं। ऐसे में गंभीर मामलों में पहले से मौजूद कानूनी प्रविधानों के तहत कार्रवाई हो सकती थी और नए विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन आदि से संवेदनशील बनाया जा सकता है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों को स्थगित कर दिया है, परंतु सवाल सरकार की बुद्धिमत्ता पर उठता है, जो उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के बजाय विश्वविद्यालयों को सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनाए दे रही है।

पश्चिम में यूनिवर्सिटी कैंपसों को संघर्ष एवं क्रांति का मैदान बनाने की कवायद तब से जारी है, जब से मार्क्सवादियों का विश्वास उस सर्वहारा क्रांति से उठा, जिसमें मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ सत्ता पर नियंत्रण करता। इसके बाद सांस्कृतिक मार्क्सवाद की परिवर्तित अवधारणा ने क्रांति की उम्मीद जातीय, नस्लीय, मजहबी एवं लैंगिक अल्पसंख्यकों की गोलबंदी और उग्र फेमिनिज्म एवं पर्यावरण आदि आंदोलनों को जोड़कर बनाई। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फार सोशल रिसर्च नामक संस्थान में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन नव-मार्क्सवादी विचारों का जन्म हुआ, लेकिन नाजी शासन में यह संस्थान अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गया।

अमेरिका के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में पैर जमा चुके नव-वामपंथियों ने विश्वविद्यालयों को जब अपना युद्धक्षेत्र बनाया, तब इसमें कुछ भी दबी-छिपी बात नहीं थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अतिवादी विचारक हर्बर्ट मारक्यूज ने उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से क्रांतिकारी चेतना के प्रसार की वकालत की। इसी विचार के हिमायती रूडी डुट्सके ने "लांग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस" नामक प्रस्ताव रखा। इन अतिवादी विचारों ने अमेरिकी अकादमिक परिदृश्य को इस कदर बदला कि विश्वविद्यालयों में पारंपरिक सिद्धांतों के पठन-पाठन के लिए कोई जगह नहीं है। उनमें वामपंथी विचारों को ही परोसा जा रहा है। समाज का विश्लेषण नस्लीय सामूहिक पहचानों के माध्यम से करने वाली क्रिटिकल रेस थ्योरी हर पहलू को उत्पीड़क और पीड़ित वर्गों में बांट कर करती है।

अमेरिका के सबसे बड़े शिक्षक संघ नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने दावा किया था कि अमेरिका में होने वाली सैट परीक्षा में अश्वेतों के उत्तीर्ण होने की दर इसलिए खराब है, क्योंकि प्रश्नपत्र श्वेत प्राध्यापक तय करते हैं। राहुल गांधी ने इसी बेतुकी बात को आधार बनाकर कहा कि जेईई परीक्षा में दलित परीक्षार्थियों के कम अंक आने का कारण "उच्च जाति" के प्राध्यापकों द्वारा प्रश्न पत्र तय करना है। इसी तरह अमेरिकी संस्था "द सेंटेंसिंग प्रोजेक्ट" समेत अन्य बुद्धिजीवियों ने जेलों में अश्वेत कैदियों की बड़ी संख्या का दोषी श्वेत लोगों द्वारा बनाए गए कानून और न्याय व्यवस्था को बताया। भारत में इसी प्रतिरूप को परिवर्तित कर मुस्लिमों के बड़ी संख्या में जेलों में होने के लिए बहुसंख्यक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया जाता है और इस बाबत कई विपक्षी सांसदों ने लगातार प्रश्न उठाए हैं। कई मुस्लिमों ने इन आंकड़ों को मुसलमानों के उत्पीड़न के प्रमाण के रूप में पेश किया है। ऐसा ही आरोप दिल्ली दंगों के आरोपित शरजील इमाम ने भी लगाया था। आज उच्च शिक्षा के भारतीय संस्थानों की रैंकिंग भी निरंतर गिरती जा रही है। नवीनतम क्यूएस रैंकिंग में मलेशिया का प्रदर्शन भी भारत से बेहतर है।

जेएनयू में ब्राह्मणों के प्रति हिंसात्मक नारे लग रहे हैं। आइआइटी दिल्ली जैसे संस्थानों में "हिंदू विहीन भारत की कल्पना" जैसे विषयों पर गोष्ठी आयोजित हो रही हैं। दिल्ली दंगों में जेएनयू और जामिया के कई छात्र आरोपित बनाए गए थे। दो माह पहले जिस विश्वविद्यालय के डाक्टरों ने लाल किले पर बम ब्लास्ट किया था, उस अल फलाह की 2018 से मान्यता समाप्त थी और कोई देखने वाला नहीं था। दूसरी तरफ गिरते शैक्षणिक स्तर और कैंपसों में व्याप्त अराजकता से बेपरवाह यूजीसी जाति-जाति खेलने में लग गई। दुख की बात यह है कि एक राष्ट्रवादी सरकार ने नव-मार्क्सवादी एजेंडे के सामने उस समय घुटने टेके, जब दुनिया प्रौद्योगिकी, विशेषकर एआइ की उत्तरोत्तर होती प्रगति के कारण युग परिवर्तन के पड़ाव पर खड़ी है।

अभियान

जनकनंदिनी की जन्मभूमि से राष्ट्रीय तीर्थ तक

अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में धार्मिक स्थलों के पुनरोद्धार और सांस्कृतिक पहचान के सशक्तिकरण को नई गति मिली है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब बिहार के सीतामढ़ी जिले स्थित पुनौरा धाम को केंद्र में रखकर मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की योजना ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह स्थल माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है, और इसी ऐतिहासिक-आध्यात्मिक महत्व को संरक्षित तथा विकसित करने के उद्देश्य से एक विशाल मंदिर परिसर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

पुनौरा धाम का उल्लेख वर्षों से जनश्रुतियों, स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक साहित्य में मिलता रहा है। मिथिला क्षेत्र में यह स्थल श्रद्धा का केंद्र रहा है, किंतु आधारभूत संरचना और सुव्यवस्थित विकास के अभाव में इसकी संभावनाएं सीमित थीं। अब प्रस्तावित मंदिर परियोजना के माध्यम से इस स्थान को राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह पहल केवल एक मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ व्यापक क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा भी जुड़ी हुई है।

मंदिर का प्रारूप पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला से प्रेरित होगा, जिसमें शिल्प, स्तंभ, मंडप और शिखर का विशेष महत्व रहेगा। साथ ही आधुनिक सुविधाओं का समावेश भी किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को व्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण मिल सके। निर्माण कार्य को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए लगभग 42 महीनों—अर्थात साढ़े तीन वर्षों—की समयसीमा तय की गई है। प्रारंभिक चरण में भूमि विकास, सीमांकन, आधारभूत ढांचे की मजबूती और जल निकासी व्यवस्था पर काम किया जा रहा है।

परियोजना के तहत मंदिर परिसर में केवल मुख्य गर्भगृह ही नहीं, बल्कि विस्तृत प्रांगण, सत्संग भवन, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला, धर्मशाला, प्रसाद वितरण क्षेत्र, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थल विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, शौचालय, पेयजल और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। उद्देश्य यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को एक समग्र धार्मिक अनुभव प्राप्त हो, जो आस्था और सुविधा दोनों का संतुलन प्रस्तुत करे।

भूमि सीमांकन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो। जिन क्षेत्रों में पहले जलजमाव की समस्या थी, वहां सुधार कार्य किए गए हैं। मुख्य सड़कों का उन्नयन और मार्गों का चौड़ीकरण भी प्रगति पर है। इससे तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परियोजना निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े।

धार्मिक दृष्टि से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माता सीता भारतीय परंपरा में आदर्श नारीत्व, त्याग, धैर्य और मर्यादा की प्रतीक हैं। उनकी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक आत्मसम्मान और ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक बन सकता है। मिथिला की पहचान लंबे समय से सीता-जनक परंपरा से जुड़ी रही है, और इस परियोजना से उस सांस्कृतिक विरासत को संस्थागत स्वरूप मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह परियोजना संभावनाओं से परिपूर्ण है। बड़े धार्मिक स्थलों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। निर्माण चरण में श्रमिकों, इंजीनियरों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त होटल, परिवहन, भोजनालय, स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। यदि पर्यटन का प्रवाह बढ़ता है, तो सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में नए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर—जैसे मधुबनी चित्रकला, लोकगीत और पारंपरिक हस्तशिल्प—को भी इस परियोजना से लाभ मिल सकता है। मंदिर परिसर में यदि सांस्कृतिक प्रदर्शनी और स्थानीय कला के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है, तो इससे क्षेत्रीय कलाकारों को मंच मिल सकता है। धार्मिक पर्यटन अक्सर सांस्कृतिक पुनर्जीवन का माध्यम बनता है, और इस दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण हो सकती है।

पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए सड़क, रेल और अन्य परिवहन सेवाओं में सुधार अपेक्षित है। बेहतर संपर्क व्यवस्था से न केवल तीर्थयात्री, बल्कि सामान्य पर्यटक भी आकर्षित होंगे। इससे राज्य के पर्यटन मानचित्र में सीतामढ़ी का स्थान सुदृढ़ हो सकता है। साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना भी आवश्यक होगा, ताकि तीर्थस्थल का विकास दीर्घकालिक और संतुलित हो।

पर्यावरणीय दृष्टि से मंदिर परिसर में हरित क्षेत्र, वर्षा जल संचयन प्रणाली और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। बड़े धार्मिक स्थलों पर आने वाली भीड़ को देखते हुए स्वच्छता और सतत विकास की रणनीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इन पहलुओं को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, तो यह परियोजना एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो सकती है।

स्थानीय समुदाय की सहभागिता इस परियोजना की सफलता का प्रमुख आधार होगी। जब विकास प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो परियोजना अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनती है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा सहयोग की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे सामुदायिक समन्वय मजबूत हो सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े निर्माण कार्य की तरह यहां भी भूमि प्रबंधन, वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक समन्वय जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

यदि निर्धारित 42 महीनों की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, तो पुनौरा धाम राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख धार्मिक गंतव्य के रूप में उभर सकता है। अयोध्या, काशी और अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों की तरह यहां भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इससे बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिल सकता है। समग्र रूप से यह परियोजना आस्था, इतिहास और विकास का संगम प्रस्तुत करती है। मां जानकी मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्थापन और क्षेत्रीय सशक्तिकरण का प्रयास है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि योजनाएं किस प्रकार क्रियान्वित होती हैं और यह पहल किस हद तक स्थानीय समाज और राज्य के विकास में योगदान देती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक महीने में दूसरी बार जालंधर पहुंचे लोक मिलनी के दौरान मौके पर ही किया शिकायतों का निपटारा

▸▸ भगवंत सिंह मान ने इस पहल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के निपटारे का सबसे बेहतरीन ढंग बताया

▸▸ पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां राज्य का मुखिया जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

▸▸ आप सरकार पंजाब के लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

▸▸ सरकार लोगों के प्रति हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

▸▸ हम भविष्य में भी 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समाधान करते रहेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

▸▸ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर स्थित निवास स्थान पर 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं

जीएनएस)। चंडीगढ़। आम लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखने संबंधी अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जालंधर में अपने निवास स्थान पर 'लोक मिलनी' कार्यक्रम आयोजित कर यहां के नागरिकों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। इस पहल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर उनके मुद्दों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि 'आप' सरकार पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनी कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच एक मजबूत पुल के रूप में काम करता है, जो जवाबदेह और पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करता है, और इसे आगे भी इसी तरह जारी रखा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों का निपटारा करने और सुचारू शासन संबंधी जनता से फीडबैक लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही कहीं ऐसी नागरिक-केंद्रित पहल देखने को मिले। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो आम जनता की भलाई के लिए ऐसी लोक-केंद्रित पहल कर रहा हो। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड पर है कि लोक मिलनी कार्यक्रम समाज के हर वर्ग की शिकायतों के निपटारे में अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनी वास्तव में एक अनोखी पहल है जहां सरकार लोगों की समस्याओं के योजनाबद्ध समाधान के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करती है।

इस पहल को पंजाब के लिए गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसी मुहिम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता है। उन्होंने कहा कि जहां लोक मिलनी एक तरफ राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों की भलाई सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता के बारे में अच्छी तरह जानने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है क्योंकि किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने और उनके समाधान की कोशिश नहीं करते। इस बात पर जोर देते हुए कि यह पहल पक्षपातपूर्ण विचारों से कहीं ऊपर की बात है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य और यहां के लोगों के विकास और खुशहाली को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के निपटारे का सबसे अच्छा माध्यम हैं, क्योंकि ये सरकार और जनता के बीच संचार के अंतराल को भरते हुए लोकतांत्रिक ढांचे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का बेहतरीन तरीका हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत कर रही है, जिसके लिए राज्य में पहले ही कई प्रमुख पहल की जा चुकी हैं।

नौजवानों के सशक्तिकरण पर सरकार के ध्यान को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का काम नौजवानों के सपनों को पंख देना होता है ताकि वे जीवन में सफलता की नई कहानियां लिख सकें। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली हर फाइल आम आदमी और राज्य के लाभ के लिए होती है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को भ्रष्टाचार या सिफारिश के बिना 63,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर फैसला राज्य की तरक्की और यहां के लोगों की खुशहाली की ओर लक्षित होता है।

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पूरी तरह सुसज्जित लैबोरेटरी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए प्ले-ग्राउंड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की विशेषज्ञता को निखारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक शिक्षा अभ्यासों से परिचित होकर छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के मुकाबलों के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ने भारत सरकार द्वारा करवाए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को भी पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के छात्रों को सशस्त्र बलों की परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ नीट, जेईई, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के छात्रों ने जेईई मेन्स, जेईई एडवांस्ड और नीट परीक्षाओं में क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक के नकद रहित इलाज के साथ मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहलों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के तहत आय की कोई शर्त नहीं लगाई गई है और अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे पंजाब समग्र नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना मुफ्त इलाज प्रदान कर रहे हैं और वर्ष 2022 में राज्य सरकार के सत्ता संभालने से लेकर राज्य के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।

किसानों के लिए सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को दिन में भी आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6900 किलोमीटर लंबाई वाले 18349 जल मार्गों को पुनर्जीवित कर टेल पर रहने वाले किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई सरकारी लाइब्रेरी खोली गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अच्छी पढ़ाई-लिखाई करके जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल कर सकें।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज पंजाब हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि 49,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा।

जनता के लिए राहत उपायों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं जिससे आम आदमी की जेब से टोल फीस के रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं जो लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक राज्य के लोगों से किया हर वादा पूरा किया है।

अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब राज्य सरकार राज्य की हर महिला को 1000 रुपये देने की योजना जल्द लागू करेगी, जिसके लिए आने वाले बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से किया गया हर वादा हर हाल में पूरा किया जाएगा क्योंकि हमारी सरकार सबकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की तरक्की और यहां के लोगों की खुशहाली को सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्पष्ट संदेश: पंजाब में अमन कानून की रक्षा के लिए सख्त व्यवस्था जारी रखी जाए

▸▸ 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' और 'गैंगस्टरां ते वार' पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता; जड़ से खत्म करना जरूरी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

▸▸ आप सरकार पंजाब में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

▸▸ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कानून और व्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपीज़ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक

▸▸ नौजवानों को नशों से बचाने के लिए रोजगार, शिक्षा और करियर काउंसलिंग जरूरी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

जीएनएस)। चंडीगढ़। नशों और संगठित अपराध के खिलाफ अपनी दृढ़ स्थिति दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरी सीनीयर पुलिस लीडरशिप को सुरक्षा व्यवस्था सख्ती से लागू करने के आदेश देते हुए कहा कि पूरे राज्य में अमन कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

पुलिस कमिश्नरों, इंस्पेक्टर जनरल (आईजी), डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) और सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस (एसएसपी) के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' और 'गैंगस्टरां ते वार' पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और नशों के खतरे तथा गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहिए। समूचे समन्वय, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष परिणामों की उम्मीद करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 'आप' सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जहां कानून लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, वहीं पंजाब के नौजवानों के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने तथा करियर काउंसलिंग को संस्थागत बनाने पर भी निर्भर करता है ताकि नौजवानों को नशों और अपराध का शिकार होने से बचाया जा सके। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी चुनौतियों का सामना करना पंजाब पुलिस की शानदार विरासत रही है और समय की जरूरत है कि राज्य से नशों के खतरे और गैंगस्टरों का खात्मा करके इस विरासत को कायम रखा जाए और इस कार्य के लिए उन सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। अब तक की प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के पूर्ण समर्थन और सहयोग से राज्य सरकार की दो प्रमुख मुहिमें 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' और 'गैंगस्टरां ते वार' सफलतापूर्वक शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य को नशों और गैंगस्टरों की बुराई से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई इन दोनों मुहिमों के परिणाम शानदार रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना समय की जरूरत है और इसके लिए हर अधिकारी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सख्त निगरानी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैं रोजाना इन मुहिमों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करता रहूंगा ताकि राज्य को नशों और गैंगस्टरों से मुक्त करना सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हरेक कर्मचारी निगरानी के अधीन है और उन्हें अच्छे ढंग से ड्यूटी करने के लिए इनाम दिया जाएगा तथा किसी भी तरह की कुताही के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इन दोनों मुहिमों के तहत शानदार ड्यूटी के लिए पंजाब पुलिस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसके लिए हरेक कर्मचारी को सख्त मेहनत करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा दिल से सहयोग का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विभाग की जरूरतों के अनुसार स्टाफ, वाहन फ्लीट और अन्य बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इरादा स्पष्ट है कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि पंजाब पुलिस किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति देश के बाकी हिस्सों से बहुत बेहतर है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल की तुलना में राज्य में एक बड़ा बदलाव आया है क्योंकि अब पुलिस फोर्स को झूठे केस दर्ज करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि वाली बात है कि राज्य सरकार द्वारा अपराधियों की कोई सरपरस्ती नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री ने सिविल और पुलिस प्रशासन को राज्य भर में हथियारों के लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक मुहिम शुरू करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी हथियार के लाइसेंस का उपयोग किसी अपराध के लिए किया जाता है, तो जिला अधिकारी उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई पूरी तरह अनुचित है। इस मुहिम को ध्यान से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए और बिना किसी रुकावट के लागू किया जाना चाहिए। नौजवानों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए राज्य सरकार नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सके।

स्कूल ड्रॉपआउट दर को रोकने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि नशे के संवेदनशील क्षेत्रों और समूहों में, शिक्षा विभाग को उचित उपाय करने और इसकी जांच करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर करियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

इस मौके पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के 'मेडिसिनल प्लांट गार्डन' विस्तार का उद्घाटन, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिया प्राकृतिक खेती का संदेश

(जीएनएस)। राजकोट। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजकोट स्थित सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी परिसर में बायोसाइंस भवन के समीप विकसित नए बॉटनिकल गार्डन में 'मेडिसिनल प्लांट गार्डन एक्सपेंशन एंड नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सिंदूर का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती के प्रति जनजागरण का संदेश दिया।

उद्घाटन समारोह में राज्यपाल ने गार्डन परिसर में विकसित तालाब और आधुनिक ग्लास हाउस का अवलोकन किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाई गई विभिन्न औषधीय एवं जैविक फसलों का निरीक्षण किया और उनके उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। विश्वविद्यालय के बायोसाइंस विभाग द्वारा तैयार की गई इस परियोजना का उद्देश्य औषधीय पौधों के संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है।

सभा को संबोधित करते हुए आचार्य देवव्रतजी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी नियमित देखभाल करे, ताकि वह अगले जन्मदिन तक एक विकसित पौधे के रूप में खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि यदि यह संकल्प व्यापक स्तर पर लिया जाए, तो हर वर्ष लाखों पौधे तैयार होंगे और पर्यावरण संरक्षण का अभियान जनांदोलन का रूप ले सकता है।

राज्यपाल ने गाय आधारित प्राकृतिक खेती की अवधारणा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती पद्धति न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि किसानों की लागत भी कम करती है और भूमि की उत्पादकता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखती है।

उन्होंने विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना भी है।

ग्लास हाउस में विद्यार्थियों द्वारा विकसित नवाचारों ने भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। यहां बायो-एंजाइम उर्वरक, हर्बल सीरम एवं शैम्पू, ऑर्गेनिक माइक्रो ग्रीन्स और ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम जैसे उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने इन उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया और उनके संभावित व्यावसायिक उपयोग के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि ऐसे प्रयोग भविष्य में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में व्यापक वृक्षारोपण भी किया गया। गणमान्य नागरिकों और विद्यार्थियों द्वारा बेहड़ा, फालसा, जंगली बादाम, जसूद, पीलूड़ी, मीठा नीम, शहतूत, सिंदूरी, अर्जुन, सादड़, बिली, रायण, गरमालो, खाखरा, करमदा, पारस पीपल, गुगल, फणास, करंज और नीलगिरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस सामूहिक वृक्षारोपण ने कार्यक्रम को एक हरित संदेश के साथ जोड़ दिया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति उत्पल जोशी, बायोसाइंस विभाग के अध्यक्ष डॉ. रमेश कोठारी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संदीप चौवटिया, सहायक प्रोफेसर डॉ. सुरेश चौवटिया, डॉ. जिज्ञासा टांक, डॉ. मित्तल कनेरिया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगड़िया, जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश, जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी प्राकृतिक खेती और औषधीय पौधों के अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और शिक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से यह लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है।

सूरत में ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर, बैंकिंग सेवाएं ठप; 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन प्रभावित

(जीएनएस)। सूरत। केंद्र सरकार की आर्थिक और श्रम नीतियों के विरोध में बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित देशव्यापी हड़ताल का सूरत शहर में व्यापक प्रभाव देखने को मिला। शहर के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज लगभग ठप रहा, जिससे अनुमानित 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकिंग लेनदेन प्रभावित हुए। नकद जमा-निकासी, चेक क्लियरिंग और अन्य नियमित बैंकिंग सेवाएं बाधित रहीं, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा।

इस हड़ताल को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (AIBEA) सहित कई कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। यूनियनों का मुख्य विरोध केंद्र सरकार द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नए लेबर कोड लागू करने के निर्णय के खिलाफ है। आंदोलनकारी नेताओं का आरोप है कि नए श्रम कोड श्रमिक हितों के प्रतिकूल हैं और इससे नौकरी की सुरक्षा कमजोर होगी।

यूनियनों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति दिए जाने से उनकी सुरक्षा और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम वेतन और कार्य परिस्थितियों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव से श्रमिकों के शोषण की आशंका जताई गई है। यूनियनों ने मांग की है कि चारों लेबर कोड को वापस लेकर पूर्व के श्रमिक हितैषी कानूनों को पुनः लागू किया जाए।

सुबह से ही शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन, एलआईसी, रेलवे, डाक विभाग, आयकर विभाग, राज्य परिवहन (एसटी), आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। शहर की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ यूनियनों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया, जिससे औद्योगिक गतिविधियों पर आंशिक असर देखा गया।

हालांकि निजी बैंकों और डिजिटल लेनदेन सेवाओं—जैसे यूपीआई और एनईएफटी—के चालू रहने से आम नागरिकों को कुछ राहत मिली। फिर भी सरकारी बैंकों पर निर्भर छोटे व्यापारियों और दैनिक लेनदेन करने वाले ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भुगतान और क्लियरिंग में देरी की स्थिति बनी रही।

महिला कर्मचारियों ने भी इस अवसर पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। जिगीशा सुरती ने कहा कि रात्रि पाली से जुड़ा प्रावधान महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में। वहीं जिगीशा देसाई ने यूनियन गठन से जुड़े नियमों में बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले 100 कर्मचारियों के साथ यूनियन बनाई जा सकती थी, जिसे अब बढ़ाकर 300 कर दिया गया है।

सावली में खेल महाकुंभ 2025 के तहत शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता शुरू, 13 जिलों के 41 शूटर मैदान में

(जीएनएस)। वडोदरा। खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और शूटिंग खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सावली में खेल महाकुंभ 2025 अंतर्गत शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। Sports Authority of Gujarat के मार्गदर्शन में Savli Taluka Rifle Association द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 12 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक सावली शूटिंग रेंज में आयोजित की जा रही है। लगातार दूसरे वर्ष आयोजित हो रहे इस राज्यस्तरीय आयोजन में गुजरात के विभिन्न जिलों से 41 प्रतिभाशाली शूटर हिस्सा ले रहे हैं।

प्रतियोगिता में बड़ौदा, नर्मदा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, सूरत, दाहोद, आनंद, राजकोट, खेड़ा, कच्छ, भुज, देवभूमि द्वारका और जूनागढ़ सहित 13 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राज्यभर से आए प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करना और राज्य में शूटिंग खेलों की बुनियाद को मजबूत करना भी है।

प्रतियोगिता के अंतर्गत क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग और क्ले पिजन डबल ट्रैप जैसे हाई-इंटेंसिटी मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। इन स्पर्धाओं में खिलाड़ियों की एकाग्रता, लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने की क्षमता और तकनीकी दक्षता की कड़ी परीक्षा होती है। शॉटगन शूटिंग में सेकंड के अंशों में निर्णय लेना होता है, जिससे यह खेल मानसिक संतुलन और त्वरित प्रतिक्रिया का भी परीक्षण करता है।

इस वर्ष की प्रतियोगिता की विशेष उपलब्धि यह रही कि दो महिला शूटर—वंदना चुडासमा और अहीर प्रिशा वैभवभाई—पुरुष प्रतिभागियों के साथ बराबरी से मुकाबला कर रही हैं। उनकी भागीदारी राज्य में शूटिंग खेलों में बढ़ती महिला सहभागिता का सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। आयोजन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि खेल महाकुंभ जैसे मंच महिलाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

सावली तालुका राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ईश्वर सिंह ने आयोजन को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार दूसरे वर्ष इतने बड़े स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य के विभिन्न हिस्सों से 41 शूटरों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्साह को दर्शाता है। उनके अनुसार यह प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता के साथ-साथ खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द को भी बढ़ावा देती है।

आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शूटिंग रेंज में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है और तकनीकी अधिकारियों की निगरानी में सभी मुकाबले संपन्न हो रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है।

खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत आयोजित यह प्रतियोगिता नए और उभरते शूटरों के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रही है। कई युवा खिलाड़ी पहली बार राज्यस्तरीय मंच पर उतर रहे हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है, जो भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। राज्य में शूटिंग खेलों के विकास की दिशा में यह आयोजन एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। खेल महाकुंभ के माध्यम से विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने की पहल से प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूती मिल रही है। सावली में चल रही यह प्रतियोगिता न केवल प्रतिभाओं को मंच दे रही है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को भी प्रोत्साहित कर रही है।

आयोजन के अंतिम दिन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किया जा सकता है। खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह का माहौल है, जिससे स्पष्ट है कि शूटिंग खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि में निरंतर वृद्धि हो रही है।

गुजरात के नपा क्षेत्रों में उजड़े पड़े उद्यानों की बदल रही है सूरत : विकसित हो रहे हैं नंदन वन जैसे हरित उद्यान, जहां शहरीजन बिता सकते हैं सुकून भरे पल

- अमृत 2.0 के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में 117.56 करोड़ रुपए के खर्च से 131 उद्यान विकसित हो रहे हैं, जिनमें से 70 उद्यानों का विकास कार्य हुआ पूर्ण
- लाठी नपा में 1.26 करोड़ रुपए के खर्च से भवानी गार्डन का हुआ सौंदर्यीकरण, जबकि पालनपुर नपा में 2.25 करोड़ रुपए से कैलास वाटिका का पुनर्विकास
- बाग-बगीचों और खुले स्थानों के विकास से शहरी हवा की गुणवत्ता सुधारने और हरित आवरण को बढ़ाने का उद्देश्य

जीएनएस)। गांधीनगर : भारत के शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर, 2021 को अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना शुरू की गई थी। इस मिशन की मुख्य पहलों में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) में कमी करना और शुद्ध किए गए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही, यह मिशन शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अच्छी तरह से बनाए हुए हरित स्थानों और उद्यानों के विकास पर भी बल देता है।

गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के नगर पालिका क्षेत्रों में अमृत 2.0 के अंतर्गत हरित स्थानों और बाग-बगीचों का विकास किया जा रहा है। गुजरात की विभिन्न नगर पालिकाओं में उजड़े पड़े उद्यानों के पुनर्विकास के साथ-साथ नए बाग-बगीचे भी विकसित किए जा रहे हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण लाठी नगर पालिका में विकसित किया गया भवानी गार्डन है। इस भवानी गार्डन को पुनर्विकसित कर नंदन वन जैसा मनोरम, भव्य और हरा-भरा बगीचा बनाया गया है, जिसका आज लाठी के नागरिक भरपूर आनंद उठा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 के तहत राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 117.56 करोड़ रुपए के खर्च से कुल 131 उद्यान विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 70 का विकास कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 61 उद्यानों को विकसित करने का कार्य अभी प्रगति पर है।

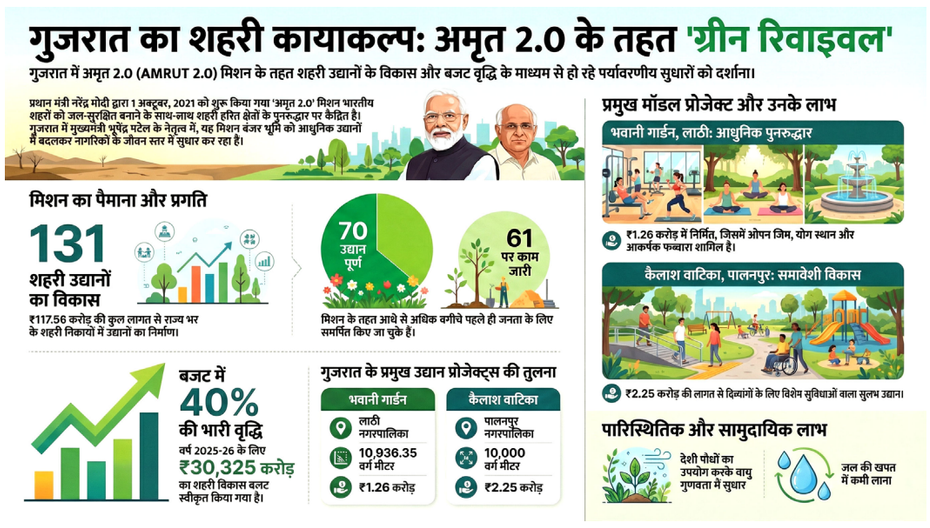

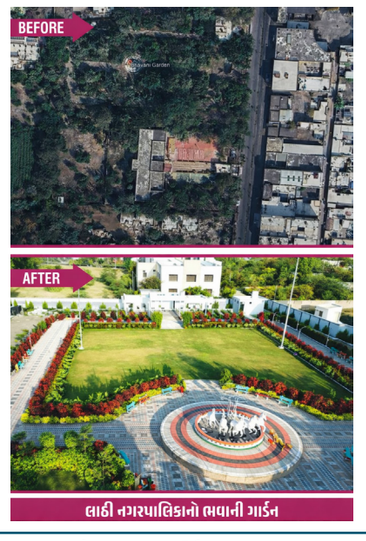

1.26 करोड़ रुपए के खर्च से लाठी में भवानी गार्डन का हुआ कायापलट

लाठी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवानी गार्डन उजड़ गया था, स्थानीय लोग इसका कोई उपयोग नहीं करते थे। अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने इस उद्यान को पुनर्विकसित करने का निर्णय किया। आज भवानी गार्डन की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। लाठी नगर पालिका में भवानी गार्डन का सौंदर्यीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामुदायिक पहल है, जिसका उद्देश्य उद्यान के पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) संतुलन को पुनः स्थापित करना और इसकी सुंदरता को बढ़ाकर इसे आकर्षक बनाना है। बगीचे में जो पेड़ पहले से थे, उन्हें बचाकर रखा गया है, और वॉक-वे तथा बगीचे के आसपास देसी प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं, ताकि प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए प्राकृतिक निवासस्थान बनाया जा सके। इस बगीचे का विकास हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए भी स्थल विकसित किए गए हैं। इसमें खुला लॉन एरिया, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, ओपन जिम एरिया यानी शारीरिक कसरत करने का क्षेत्र तथा योग एवं नॉलेज सेंटर शामिल हैं। उद्यान के मध्य में श्वेत अश्वों की एक आकर्षक फव्वारे वाली मूर्ति भी बनाई गई है, जो इस बगीचे के सौंदर्य को और बढ़ाती है। समूचे भवानी गार्डन को 1.26 करोड़ रुपए के खर्च से 10,936.35 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

2.25 करोड़ रुपए के खर्च से पालनपुर नपा में कैलास वाटिका गार्डन का पुनर्विकास

पालनपुर नगर पालिका में लोगों के मनोरंजन के लिए 2.25 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कैलास वाटिका का पुनर्विकास किया गया है। इस बगीचे में नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र और उसके सामान, दिव्यांगों के लिए विशिष्ट सुविधाएं, गजेबो और बैठक व्यवस्था आदि शामिल हैं। कैलास वाटिका आज पालनपुर के लोगों के लिए नंदन वन बन गया है। इसी प्रकार, विभिन्न नगर पालिका क्षेत्रों में लगभग 70 बगीचों को शहरीजनों के लिए विकसित किया गया है, जबकि अन्य 61 बगीचों का काम प्रगति पर है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ऐसे हरित क्षेत्र बनाने का उद्देश्य टिकाऊ, समावेशी और समुदाय-केंद्रित शहरी वातावरण को बढ़ावा देना और शहरीजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही, ऐसे बगीचे शहरी हवा की गुणवत्ता को भी और बेहतर बनाते हैं, और घने शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं। देसी पौधों और पेड़ों के एकीकरण द्वारा यह हरित क्षेत्र स्थानीय जैव विविधता को समर्थन देते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए कम पानी एवं रखरखाव की जरूरत होती है। कुल मिलाकर, अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन से गुजरात के शहरी जीवन में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है, जिससे शहरों और नगरों में स्थिरता, लचीलेपन और खुशहाली को बढ़ावा मिला है।

गांधीधाम–आदीपुर खंड में चौहरीकरण एवं आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफल कमीशनिंग; क्षमता और सुरक्षा में होगी वृद्धि

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने गांधीधाम–आदीपुर के बीच 8.96 किमी लंबे खंड पर चौहरीकरण तथा अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का कार्य सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया है। इस कार्य के अंतर्गत गांधीधाम बी ब्लॉक केबिन एवं आदीपुर जंक्शन सहित तीन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट (एलसी नं. 3, 3X एवं 4) को आईबीएस (Intermediate Block Signalling) के साथ जोड़ा गया है।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्राउंड ज़ीरो पर उपस्थित रहकर इस कार्य की निगरानी की। यह चौहरीकरण परियोजना का महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें नई लाइनों, सिग्नलिंग तथा प्वाइंट्स को सुरक्षित रूप से मौजूदा प्रणाली से एकीकृत किया गया। इस दौरान आवश्यक तकनीकी संशोधन और परीक्षण कर नई संरचना के सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन को सुनिश्चित किया गया। यह उपलब्धि गांधीधाम–भुज सेक्शन में परिचालन दक्षता और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आदीपुर स्टेशन पर प्रमुख व्यवस्थाएं

गांधीधाम–आदीपुर खंड के लिए क्योसान निर्मित (K5D मॉडल) नई डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली कमीशन की गई। इसमें 5 लाइनें एवं 1 सिक साइडिंग, 146 रूट, 56 ट्रैक, 18 मेन, 16 शंट और 5 कॉलिंग-ऑन सिग्नल, 28 पॉइंट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त AFDAS (Revel make), 2 ELD (Reliance make), 2 डेटा लॉगर (Efftronics) जिनमें 1024 डिजिटल एवं 32 एनालॉग इनपुट की क्षमता है, 2 IPS (Statcon Energiaa make) तथा FACS (Reliance make) की व्यवस्था की गई है। पॉइंट्स का पैरेलल ऑपरेशन तथा NDKR/RDKR सर्किट भी लागू किया गया है।

गांधीधाम बी ब्लॉक केबिन में उन्नयन

मौजूदा क्योसान (K5BMC मॉडल) डिस्ट्रीब्यूटेड EI प्रणाली में संशोधन एवं विस्तार कर इसे चौहरीकरण सेक्शन से जोड़ा गया। अब यहां 4 लाइनें (पूर्व में 3), 146 रूट (पूर्व में 70), 69 ट्रैक (पूर्व में 39), 27 मेन, 14 शंट एवं 4 कॉलिंग-ऑन सिग्नल तथा 39 पॉइंट्स (पूर्व में 23) उपलब्ध हैं। मौजूदा AFDAS, ELD, डेटा लॉगर, IPS एवं FACS का एकीकरण करते हुए NDKR/RDKR पॉइंट सर्किट लागू किए गए हैं।

मुख्य लाभ

इस उन्नयन से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अधिक यात्री एवं मालगाड़ियों का समानांतर संचालन संभव होगा और भीड़भाड़ में कमी आएगी। समयपालन में सुधार होगा तथा देरी और ठहराव कम होंगे। आधुनिक EI, AFDAS, डेटा लॉगर और इंटरलॉक्ड गेट से सुरक्षा स्तर मजबूत होगा। एकीकृत सिग्नलिंग एवं पैरेलल पॉइंट ऑपरेशन से परिचालन अधिक सुगम और निर्बाध बनेगा। गांधीधाम क्षेत्र प्रमुख फ्रेट हब होने के कारण बंदरगाहों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी मिलेगी। यह भविष्य उन्मुख, विश्वसनीय और विस्तार योग्य ढांचा है। यह कमीशनिंग कांडला एवं मुंद्रा पोर्ट तथा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिक कुशल और भरोसेमंद रेल संपर्क सुनिश्चित करेगी, जिससे क्षेत्रीय और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। यह परियोजना भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और यात्री व माल परिवहन दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यह उन्नयन पश्चिम रेलवे की आधुनिकीकरण, सुरक्षा और क्षमता विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे क्षेत्र की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सकेगा।

गुजरात के भुज में दीनदयाल पोर्ट पर मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रगति पर,डीआरएम अहमदाबाद सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण

जीएनएस)। गुजरात के भुज स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (कांडला) में विकसित किए जा रहे मेगा कंटेनर टर्मिनल के निर्माण कार्य का दिनांक 12.02.2026 को अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश, श्री नरेन्द्र पंवर, मुख्य माल भाड़ा परिवहन प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, तथा गांधीधाम एवं अहमदाबाद मंडल के एरिया मैनेजर श्री आशीष धानीया द्वारा निरीक्षण किया गया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिम भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को नई गति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। निरीक्षण के दौरान परियोजना की निर्माण प्रगति, परिचालन तैयारियों एवं भावी क्षमता विस्तार की विस्तृत समीक्षा की गई। यह अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल लगभग 2.19 मिलियन TEU की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता का होगा। टर्मिनल पर लगभग 1100 मीटर लंबी बर्थ विकसित की जा रही है, जिससे बड़े एवं आधुनिक कंटेनर जहाज़ों का संचालन संभव हो सकेगा। यह परियोजना PPP मॉडल के अंतर्गत लगभग 4,200 करोड़ के निवेश से विकसित की जा रही है।

डीआरएम अहमदाबाद के विजिट के दौरान पोर्ट–रेल कनेक्टिविटी, कंटेनर मूवमेंट, रेक हैंडलिंग क्षमता तथा भविष्य की लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही, भारतीय रेलवे द्वारा इस टर्मिनल को तेज़, सुरक्षित एवं निर्बाध रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट को एक सशक्त मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा भारतीय रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

सोना वायदा में 793 रुपये, चांदी वायदा में 3779 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 47 रुपये की गिरावट

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 126846.23 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 18149.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 108692.87 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 39289 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2344.35 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12335.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 158000 रुपये के भाव पर खूलकर, 158747 रुपये के दिन के उच्च और 157700 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158755 रुपये के पिछले बंद के सामने 793 रुपये या 0.5 फीसदी गिरकर 157962 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 275 रुपये या 0.21 फीसदी गिरकर 128952 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 19 रुपये या 0.12 फीसदी गिरकर 16159 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मार्च वायदा 156201 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156625 रुपये और नीचे में 155500 रुपये पर पहुंचकर, 675 रुपये या 0.43 फीसदी गिरकर 155910 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 159079 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159480 रुपये और नीचे में 158148 रुपये पर पहुंचकर, 159234 रुपये के पिछले बंद के सामने 429 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 158805 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 261361 रुपये के भाव पर खूलकर, 262775 रुपये के दिन के उच्च और 258730 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 263018 रुपये के पिछले बंद के सामने 3779 रुपये या 1.44 फीसदी लुढ़ककर 259239 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3366 रुपये या 1.25 फीसदी की गिरावट के साथ 266629 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3308 रुपये या 1.23 फीसदी गिरकर 266587 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

- कमोडिटी वायदाओं में 18149.93 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 108692.87 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12335.46 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39289 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3460.03 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 5.8 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1253.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 25 पैसे या 0.08 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 329.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.38 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 315.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी टूटकर 189.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2356.43 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5883 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5904 रुपये और नीचे में 5824 रुपये पर पहुंचकर, 47 रुपये या 0.8 फीसदी औंधकर 5849 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 48 रुपये या 0.81 फीसदी घटकर 5850 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 292.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 298.7 रुपये के दिन के उच्च और 288.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 288.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 6 रुपये या 2.08 फीसदी की मजबूती के साथ 294.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 6.1 रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 294.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 959 रुपये पर खूलकर, 2.9 रुपये या 0.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 969.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7190.81 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5144.65 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2637.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 179.60 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 11.53 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 631.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 890.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1452.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9272 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 65722 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32096 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 436624 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 56482 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8163 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19306 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 62612 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21531 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22665 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 39470 पॉइंट पर खूलकर, 39537 के उच्च और 39284 के नीचले स्तर को छूकर, 568 पॉइंट घटकर 39289 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 41.4 रुपये की गिरावट के साथ 103.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.1 रुपये की बढ़त के साथ 20.4 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 658 रुपये की गिरावट के साथ 3395.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1390 रुपये की गिरावट के साथ 3900 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.84 रुपये की बढ़त के साथ 9.84 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 19 पैसे की नरमी के साथ 0.95 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 1.5 रुपये की बढ़त के साथ 103.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की गिरावट के साथ 16.05 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 19.5 रुपये की बढ़त के साथ 2910.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 34 रुपये की गिरावट के साथ 347.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 27 पैसे के सुधार के साथ 11.06 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 12 पैसे की नरमी के साथ 0.65 रुपये हुआ।

महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर भावनगर टर्मिनस–वेरावल के बीच विशेष किराये पर चलेगी "महाशिवरात्रि मेला स्पेशल" ट्रेन

जीएनएस)। महाशिवरात्रि मेला के दौरान होने वाली अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष किराये पर कुल 04 जोड़ी "महाशिवरात्रि मेला स्पेशल" ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, ट्रेन संख्या 09581 वेरावल–भावनगर टर्मिनस स्पेशल के संचालन दिनों में आंशिक परिवर्तन किया गया है, पहले इसे 13.02.2026 से 17.02.2026 बताया गया था, जिसे संशोधित करते हुए इसे 14.02.2026 से 18.02.2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

ट्रेन संख्या 09581 वेरावल–भावनगर टर्मिनस स्पेशल यह ट्रेन वेरावल से सुबह 06:50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14:00 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 14.02.2026 से 18.02.2026 तक संचालित की जाएगी। ट्रेन संख्या 09582 भावनगर टर्मिनस–वेरावल स्पेशल वापसी दिशा में यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस से दोपहर 14:50 बजे प्रस्थान कर रात्रि 21:35 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन 13.02.2026 से 17.02.2026 तक संचालित की जाएगी।

उक्त ट्रेनें दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, जेतपुर, कुंकावाव, लाठी, ढसा, धोला, सिहोर एवं भावनगर परा स्टेशनों पर ठहराव करेंगी।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की समय-सारिणी की पुष्टि अवश्य कर लें, रेलवे द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें तथा स्टेशन एवं ट्रेनों में स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने में रेलवे का सहयोग करें।

भारत भर में 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू; 274 जिलों में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा

गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों का शानदार प्रतिसाद,13 महीनों में 32 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

जीएनएस)। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने फरवरी 2019 में मात्र एक सेवा से अपनी शुरुआत की थी और आज यह 164 ट्रेनों के सशक्त नेटवर्क के रूप में देश के प्रमुख शहरों को जोड़ रही है। विश्वस्तरीय वंदे भारत सेवाएं तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया मानक स्थापित कर रही हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या से स्पष्ट है।

गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक की 13 माह की अवधि में गुजरात से चलने वाली 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है। इस अवधि में लगभग 32 लाख यात्रियों ने इन प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा की।

इन सेवाओं में न केवल यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, बल्कि कई मार्गों पर मांग क्षमता से कहीं अधिक, मुंबई-अहमदाबाद-मुंबई के बीच लगभग 140% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, यह लोकप्रियता को दर्शाती है। अहमदाबाद-ओखा के बीच ऑक्यूपेंसी लगभग 90% रही है, साबरमती-जोधपुर के बीच ऑक्यूपेंसी 81% से अधिक रही है।

अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत ट्रेन सेवा कई यात्रियों की पहली पसंदीदा विकल्प बन गई है। पेशेवरों, व्यावसायिक और नियमित यात्रियों के द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सेवा भारत के दो प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्रों को जोड़ती है।

मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, प्रत्येक ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इनमें स्वचालित प्लग वाले दरवाजे , घूमने वाली सीटें और बायो-वैक्यूम शौचालय शामिल हैं। इनमें जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज भी है। ये सुविधाएं प्रत्येक यात्री के लिए विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव सुनिश्चित करती हैं।

विश्वस्तरीय सुविधाएं:

- आधुनिक एवं एर्गोनॉमिक डिजाइन वाले कोच
- आरामदायक रीक्लाइनिंग सीटें और पर्याप्त लेगरूम
- स्वचालित दरवाजे एवं जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली
- मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं ऑनबोर्ड इन्फोटेनमेंट

उत्कृष्ट ऑनबोर्ड खान-पान सेवाएं:

- स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त ताजा भोजन
- क्षेत्रीय स्वाद पर आधारित विविध मेन्यू
- प्री-पैक्ड हाइजीनिक सर्विस
- प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा समयबद्ध सेवा

उच्च समयपालन, बेहतर सुरक्षा मानक और उत्कृष्ट स्वच्छता ने यात्रियों का विश्वास और मजबूत किया है। उच्च गति क्षमता के कारण ये ट्रेनें कम समय में लंबी दूरी तय कर व्यवसायिक एवं अवकाश यात्रियों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।

गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन भारतीय रेल के यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण का सशक्त प्रमाण है। ये ट्रेनें राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा का नया मानक स्थापित कर रही हैं। भारतीय रेल भविष्य में भी यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।